

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 591/2023

विशनाराम पुत्र मगनाराम व अन्य
बनाम
हडमानराम पुत्र खेराजराम वगैरा

दिनांक 04.12.2024

उक्त अपील राज० भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 44/2014 अनवान हडमानराम व अन्य बनाम मगनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.5.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलाट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील नोखड़ा स्थित ग्राम किशनपुरा के खसरा नं० 217/1, 294/2, 296/2 व 297 अपीलाट्स की खातेदारी भूमि है। जिसके चारों तरफ वक्त सेटलमेंट से माटे आदि बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंसं० 1 व 2-प्रार्थी-हडमानराम व मूलाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, तहसील नोखड़ा स्थित ग्राम किशनपुरा के खसरा नं० 298/1 रकबा 58 बीघा की नेखमबंदी हेतु यह आग्रह किया कि उक्त खसरे के पड़ोसी खसरान की सेठे व माटे आंधियों चलने से विखर गये है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को सही सेठो का ज्ञान नही होने से विप्रार्थीगण-अपीलाट्स बरसात के समय प्रार्थी-रेस्पोंसं० के खसरान की माटों को तोड कर जबरदस्ती प्रार्थी की कंबजासुदा खातेदारी भूमि पर काशत कर लेते है। इस विवाद से निजात हेतु प्रार्थी-रेस्पोंसं० के खसरान की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं विप्रार्थीगण-अपीलाट्स को बिना प्रोपर नोटिस तामिल करवाये नियत तारीख दिनांक 10.6.15 को बदल कर पत्रावली लोक अदालत केम्प में दिनांक 19.5.15 को सुनवाई हेतु नियत कर बिना सीमाज्ञान एवं पेमाईश रिपोर्ट के सीधे ही नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया गया। प्रकरण में अपीलाट्स के नाम जारी नोटिस तामिल नही हुए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि




अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

नोटिस जारी करने एवं तामिलसुदा नोटिस प्राप्त होने के बीच 8 माह का अन्तर है, ऐसी स्थिति में उक्त तामिल संदेहास्पद होने से तामिली नहीं मानी जावेगी। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि रेस्पों के खसरान के पडौस में स्थित होने से वह पडौसी खातेदार है। रेस्पों अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। आरएलआर एक्ट की धारा 111, 128 में आवेदित भूमि की निर्विवाद सीमाज्ञान रिपोर्ट आवश्यक है, जब तक सीमाज्ञान नहीं हो जाता, तब तक पक्के नेखम स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से खारिज योग्य है। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 6.6.23 को तहसीलदार द्वारा बिना नोटिस/सूचना दिये वादग्रस्त खसरान की नेखमबंदी हेतु अपीलांट के कब्जे वाले भाग पर सीमा चिन्ह कायम करने का प्रयास किया गया, जिसमें आपसी विवाद के कारण नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई।

वकील अपीलांट्स द्वारा यह भी निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.15 को पारित किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार नोखडा द्वारा ग्राम किशनपुरा के वादग्रस्त खसरा नं० 298, 298/1 की मौका फर्द एवं पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 6.6.23 को तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही अपीलांट को बिना सूचना/नोटिस व बिना सुनवाई के की गई है, जो काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.15 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पों सं० 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम किशनपुरा के खसरा नं० 298/1 रकबा 58 बीघा का कब्जाकाशत खातेदार है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत सेढा-सेढ स्थित है, जिनकी मुरानी मांटे एवं कणे आंधियों से विखर जाने के कारण सेढों का सही ज्ञान नहीं होने से कब्जाकाशत को लेकर विवाद रहता है। इस कारण उसने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्की नेखमबंदी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 28.1.14 को विप्रार्थीगण-अपीलांट्स को जारी किए गए नोटिस की तामिली का उल्लेख आदेशिका दिनांक 19.5.24 में किया हुआ है। प्रकरण की सुनवाई लोक अदालत/केम्प कोर्ट में करने हेतु दिनांक 10.5.15 को नोटिस जारी किया गया, जो तामिल सुदा है, वक्त सुनवाई केम्प कोर्ट में विप्रार्थीगण-अपीलांट्स अनुपस्थित रहे। प्रार्थी अपने खसरान की नेखमबंदी करवाने का अधिकारी है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।




अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोंड सं० 5 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण के नोटिस दिनांक 28.1.14 को जारी करने का उल्लेख आदेशिका दिनांक 24.1.14 के अहकाम में अंकित है व इनकी तामिली आदेशिका दिनांक 19.5.15 में उल्लेखित है। पत्रावली में केम्प कोर्ट की सूचना तामिलसुदा संलग्न है, जिसमें प्रार्थी-हडमानराम एवं विप्रार्थी-मगनाराम की ही तामिली अंकित है, शेष पक्षकारों की तामिली अंकित नहीं है। इसके अलावा प्रकरण में नेखमबंदी आदेश जारी करने से पूर्व निर्विवाद सीमांकन रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अभाव पाया गया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 6.6.23 की प्रमाणित प्रति के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में नेखमबंदी की कार्यवाही पक्षकारान में विवाद होने के कारण पुलिस इमदाद द्वारा संभव होना बताया गया है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 44/2014 अनवान हडमानराम व अन्य बनाम मगनाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.15 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेन्टगण तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह-खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सहायक आयुक्त
जाधपुर